इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 704-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1, सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 10 जनवरी, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम,१९६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में,—

(एक) मद ९८ में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पश्चात्, शब्द ''और उपाध्यक्ष'' अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) मद ९८ के पश्चात्, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

''९९. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१००. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०१. मध्यप्रदेश मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०२. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०३. भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.''.

निरसन और व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ४ सन् २०१३) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में सरकार के अधीन लाभ के कुछ पदों को सम्मिलित करने की दृष्टि से यह विनिश्चित किया गया है, कि अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए जिससे उस पद का धारक राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए निरर्हित न हो.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ४ सन् २०१३) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम, बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ६ जनवरी, २०१४.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ की अनुसूची में सरकार के अधीन लाभ के कुछ पदों को सम्मिलित करना आवश्यक हो गया था, ताकि उस पद का धारक विधान सभा का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न हो.

चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.